28-5-18	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत । संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं0-1 से 4 मूंगा के वारिस है। मूगा के 5 पुत्र हुये। जिसमें प्रार्थी का पिता नागरमल फौत हो गया । नागरमल के प्रार्थी ओमप्रकाश गोद चला गया दूसरा पुत्र प्रहलाद था जो प्रार्थी का जायन्दा पिता था जिसके तीन पुत्र बनवारी महेन्द्र व प्रार्थी हुये । तीसरा पुत्र दुर्गाप्रसाद है जो नाऔलाद फौत हो	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

1 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

58/2010 कोमप्रकाश - मातुराम

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	चौथा पुत्र मातुराम व 5वां पुत्र नारायण है ।ग्राम धींधवा आथूना में मंगाराम की कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि खेत, गत खoनंo 83 रकबा 13 बीघा पुख्ता स्थित है ।मंगाराम के फौत होने पर यह आराजी उसके पांचों पुत्रों के कब्जा काश्त व खातेदारी में रही । किन्तु अप्रार्थी-2 ने प्रार्थी के पिता से सैटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश करवा कि हाल खoनंo 476/155 रकबा 0.39 हैक्टर एवं खoनंo 156 रकबा 2.65 हैक्टर फैसला जो नागर प्रहलाद वगैहरा के हक में किया है उस मे मेरा नाम गलत दिया है । इस आराजी में मेरा ना तो कब्जा है ना ही कोई नाम है। इन खसरा नम्बरों में नारायण ही काश्त करता है ।यह दरख्वास्त नागर ने पेश नहीं की ना ही उसका अंगूठा निशानी है। यह दरख्वास्त नारायण ने फर्जी तौर पर तैयार कर पेश की है तथा नागर के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के बयान भी करवा दिये । जिस पर सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने नागर के स्थान पर नारायण के नाम की खातेदारी दर्ज करने के आदेश भी दे दिये ।नागर जिन्दा है उसके बाद भी उसका विरासत से उसका हिस्सा नारायण के दर्ज कर दिया । गत खoनंo 83 जिसके हाल खoनंo 156 व 496/150 बने जो पैत्रिक भूमि है जिसमें अपीलान्ट का 1/5 हिस्सा है ।उक्त आराजी का कोई विभाजन नहीं हुआ है ।अप्रार्थी ने प्रार्थी को धमकी दी की यह सम्पूर्ण आराजी हमारे नाम है इसका दीगर व्यक्तियों को बेचान करेंगें तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी जिसके कारण यह दावा मय प्रार्थना पत्र पेश किया अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की ।	000

	अपील दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस उभय पक्षों की सुनी गई ।	

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	विद्वान वकील अपीलान्ट ने बहस में अपील मीमी में दर्ज तथ्यो को दौहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी मे मेरा 1/5 हिस्सा है । जिसको बिना किसी आधार के ही नारायण ने अपीलान्ट के पिता के फर्जी अंगूठा निशानी कर उसके स्थान पर फर्जी आदमी को खडा कर उसके हिस्से की आराजी को अपने नाम दर्ज करवाली जबकि विवादित आराजी पैत्रिक है जिसकी खातेदारी घोषित करने का सैटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार नहीं है ।अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का कोई अवलोकन न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट को पाबन्द किया जावे कि वह उक्त विवादित आराजी का बैचान/अन्तरण नहीं करें तथा अपीलान्ट को बेदखल नहीं करें । विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस में कथन किया अपीलान्ट के नाम न तो कोई खातेदारी है और न ही आराजी पर कब्जा है । विवादित आराजी के हम रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है । जिनको अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत का आदेश उचित एवं विधिक है । अपील खारिज की जावे ।	

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलो
कन किया गया मिलान क्षेत्रफल के अनुसार गत ख0नं0 83
मिन व 79 मि0 से हाल ख0नं0 156 रकबा 3.00 हैक्टर
गत ख0नं0 83 से हाल ख0नं0 476/155 रकबा 0.35
हैक्टर बने है । जमाबन्दी सं0-2030 से 2033 में ख0नं0
83 रकबा 13 बीघा की खातेदारी मूंगा पुत्र बुजाराम
के नाम दर्ज है ।जमाबन्दी सं0-2055 से 2058 में ख0नं0
156, 476/155, 496/150 कुल किता-3 रकबा 3.95
हैक्टर की खातेदारी नारायण 2/5, दुर्गा 1/5, मातू
1/5, मूगाराम बनवारीलाल महेन्द्रकुमार पि0 प्रहलाद
1/5 के नाम दर्ज है ।यही अंकन जमाबन्दी सं0-2051
से 2054, 2047 से 2050, 2059 से 2062 दर्ज है ।
अपीलान्ट के नाम से कोई खातेदारी दर्ज नहीं तथा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	

ना ही कब्जा बाबत कोई खसरा गिरदावरी भी पेश नहीं है । रहा सवाल खातेदारी सैटलमेन्ट विभाग को देने का अधिकार है अथवा नहीं यह साक्ष्य के बाद दावे में निर्धारित होना है तथा रेस्पोडेन्ट रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिनकों अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना विधि संगत नहीं है ।अदालत मातहत ने अपना निर्णय उचित एवं विधिक पारित किया है ।जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय दिनांक 25-10-2010 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सुनाया गया ।

28/5/18

(भंवरलाल मेहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर